Phone & Fax no. 0135-2658294
E-mail: cfshiwalik@yahoo.co.in

कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक- 40 /121 दिनांक, देहरादून 02 जुलाई, 2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर,
फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः- **प्रस्ताव संख्या-FP/UK/OFC/36847/2018 जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग में (थानों-ऋषिकेश-बड़कोट) रेंज के अन्तर्गत एन0एच0 07 मार्ग (रायपुर-रानीपोखरी चौक) 20.9 कि0मी0, रानीपोखरी-नटराज चौक 3.8 कि0मी0 रानीपोखरी चौक-जगंलात चौकी 9.2 कि0मी0, जिसकी कुल लम्बाई 33.9 कि0मी0 एवं 0.205 है0 मोटर मार्ग के किनारे ऑलि फाइबर केबिल बिछाने हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0 को भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।**

संदर्भः- **आपके द्वारा लगाई ऑनलाईन आपत्ति दिनांक 04.07.2019**

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव संख्या-FP/UK/OFC/36847/2018 पर आपके द्वारा लगाई गई ऑनलाईन आपत्ति का निराकरण निम्न प्रकार प्रेषित किया जा रहा है -

क्र0सं0	आपत्ति	निराकरण
1.	Whatever this Row (right of way) has approved under FC clearance at the time of construction.	प्रस्तावित केबिल बिछाये जाने वाले रायपुर से रानीपोखरी चौक मोटर मार्ग निर्माण हेतु भारत सरकार के पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/168/2013/एफ0सी0/1865 दि0 13.11.2015 एवं उत्तराखण्ड सरकार के शा0 सं0 1120/X-4-15/1628)/2015 दिनांक 11.09.2015 **(छायाप्रति संलग्न)** तथा रानीपोखरी से नटराज चौक से जंगलात चौकी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु भारत सरकार की पत्र सं0-8बी-56/2010-एफ0सी0 दि0-01.09.2011 एवं उत्तराखण्ड सकरार के शा0 सं0-जी0आई0 2588/7-1-2011-600 (1694)/2006 दि0 18.09.2011 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्राप्त है।

उपरोक्त के अतिरिक्त वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अध्याय-4 के अन्तर्गत पैरा-4.2 से संबंधित विवरण निम्न प्रकार है :-

1.	No tree felling is involved for the proposed work.	प्रस्तावित परियोजना के निर्माण में किसी प्रकार के वृक्षों पातन नहीं किया जायेगा, से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्ताव की हार्ड कॉपी के पृष्ठ सं0-23 एवं ऑनलाईन भाग-I में अतिरिक्त सूचना के क्र0सं0-17 पर संलग्न/अपलोड किया गया है।
2.	After completion of the project the area under RoW should be reclaimed suitably.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना की समाप्ति के उपरान्त सड़क को मूल स्वरूप में लाने हेतु लो0नि0वि0 को रू0 1,08,37,500/- की धनराशि जमा करा दी गई है। यह कार्य लो0नि0वि0 द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा। इस संबंध में लो0नि0वि0 द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र जो कि प्रस्ताव की हार्ड कॉपी के पृष्ठ सं0-10 तथा ऑनलाईन भाग-I में अतिरिक्त सूचना के क्र0सं0-27 पर अपलोड किया गया है।

3.	UA agrees to make good any loss to Forest/Environment.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा संबंधित मानक शर्ते प्रस्ताव की हार्ड कॉपी के पृष्ठ सं0 35 व 36 पर संलग्न की गई हैं, जिसकी बिन्दु सं0 05 अवलोकनीय है।
4.	The UA will seek permission from the local FD for carrying out any maintenance.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा संबंधित मानक शर्ते प्रस्ताव की हार्ड कॉपी के पृष्ठ सं0 35 व 36 पर संलग्न की गई हैं, जिसकी बिन्दु सं0 17 अवलोकनीय है।
5.	In case, the proposed area falls in the RoW of the road passing through National Parks and Wildlife Sanctuaries, General Approval is subject to requisite permissions from the State Board for Wildlife shall be obtained.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्ताव की हार्ड कॉपी के पृष्ठ सं0–26 पर संलग्न किया गया है।
6.	In case, the proposed area falls in the RoW of the road passing through Tiger Reserves, General Approval is subject to requisite permissions from the Nation Board for the Wildlife/NTCA shall be obtained.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्ताव की हार्ड कॉपी के पृष्ठ सं0–26 पर संलग्न किया गया है।

अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(पी0के0 पात्रो)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून।

संख्याः 1220 /X-4-15/1(28)/2015

प्रेषक,

मीनाक्षी जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तातरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

कार्यालय वन संरक्षक शिवालिक वृत्त
पत्रावली सं0 12-1 (G)
रजिस्टर सं0 4705
दिनांक 4/12/15

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4

देहरादूनः दिनांकः // दिसम्बर, 2015

विषयः जनपद–देहरादून में जौलीग्राण्ट–थानों–सहस्त्रधारा–देहरादून तक दो लेन फास्ट ट्रैक मार्ग के किमी0 सं0–12 एवं 16 में पड़ने वाले सेतुओं के प्रथम चरण के निर्माण हेतु 1.8033, हे0 वन भूमि का ग़ैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1532/1जी–3946 (दे0दून), दिनांक 23 नवम्बर, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी/यू0सी0पी0/06/168/2013/एफ0सी0/1865 दिनांक 13.11.2015 के द्वारा प्रदत्त विधिवत् स्वीकृति के आधार पर जनपद–देहरादून में जौलीग्राण्ट–थानों–सहस्त्रधारा–देहरादून तक दो लेन फास्ट ट्रैक मार्ग के किमी0 सं0–12 एवं 16 में पड़ने वाले सेतुओं के प्रथम चरण के निर्माण हेतु 1.8033, हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की स्वीकृति अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं–

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 3.6066, हे0 ग्राम बुरांशखण्डा सिविल सोयम भूमि में वन संरक्षण अधिनियम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों 3.2(I) एवं 4.2 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रख–रखाव किया जायेगा।
3. वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन की गयी उक्त भूमि को छः माह के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा यथोचित प्रस्ताव वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। संरक्षित वन घोषित किये जाने की अधिसूचना की प्रति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0आई0, देहरादून एवं नोडल अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। क्षतिपूरक वृक्षारोपण दिनांक 13 नवम्बर, 2015 से दो वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
4. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग देहरादून
पत्रावली संख्या 12-1
पंजीकरण संख्या 6771
दिनांक 26/12/15

5. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति पहुँचाई जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तत्समय निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
6. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
7. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
8. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का आर0सी0सी0 पिलर्स लगाकर सीमांकन करेगा, जिन पर फारवर्ड तथा बैक बियरिंग भी अंकित किया जाएगा।
9. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजना के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रख–रखाव किया जायेगा।
11. मा0 उच्चतम् न्यायालय/भारत सरकार द्वारा यदि भविष्य में एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय किया जायेगा व देय धनराशि को (ad-hoc CAMPA) कोष को स्थानान्तरित किया जायेगा।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना का निर्माण एवं तदोपरान्त रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
14. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत् मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।
15. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
16. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस–पास की वन भूमि से परियोजना निर्माण के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
17. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर मक डिस्पोजल का कार्य प्रस्तुत की गयी योजना के अनुसार वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उत्सर्जित मलवे का निस्तारण चिन्हित स्थलों पर ही किया जायेगा व उत्सर्जित मलवे को किसी भी दशा में पहाड़ों के ढलान से नीचे/नदी में निस्तारित नहीं किया जायेगा।

18. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा एवं आवश्यक न्यूनतम् वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।
19. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन0पी0वी0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण, मलवा निस्तारण एवं परियोजना के आस–पास रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु जमा की गयी धनराशि को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को स्थानान्तरित कर दिया गया है।
20. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी का उत्तरदायित्व होगा।
21. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।
22. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा संतोषजनक अनुपालन नही होने की स्थिति में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड अपने माध्यम से उक्त शर्तो का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेगा।

भवदीय,

(मीनाक्षी जोशी)
अपर सचिव।

संख्याः 1220 (1)/X-4-15/1(628)/2015, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0 आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, देहरादून।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
7. अधिशासी अभियंता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0 के0 तोमर)
संयुक्त सचिव।

R.N. 4705/12-1 दि. 22-12-15
प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग को विषयांकित प्रकरण में उत्तराखण्ड शासन द्वारा अध्यारोपित शर्तो के अनुरूप वन भूमि हस्तान्तरण विधिवत रूप से प्रस्तावक विभाग को हस्तान्तरित करने हेतु प्रेषित।

वन संरक्षक
शिवालिक वृत्त

संख्याः–जी0आई0:– 2588/7–1–2011–600(1694)/2006.

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग

देहरादून : दिनांक 18 सितम्बर, 2011.

विषयः– जनपद–देहरादून के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के किमी 209.00 से किमी 218.20 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 72 के किमी. 165.00 से किमी. 196.80 तक सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 80.633 हे0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 701/1जी–888 (दे0दून) दिनांक 12–09–2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद–देहरादून के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के किमी. 209.00 से किमी 218.20 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 72 के किमी 165.00 से किमी 196.80 तक सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 80.633 हे0 वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पत्र संख्या संख्याः 8–56/2010–एफसी दिनांक 01–09–2011 में दी गई स्वीकृति के आधार पर निम्न शर्तो पर प्रदान करते हैं :–

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगें और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुँचती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रस्तावक विभाग द्वारा देय होगा।
4. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रस्तावक विभाग को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
5. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
6. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा दुगुने अर्थात 162.00 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं वृक्षारोपण का आगामी पाँच वर्षो तक रख–रखाव किया जायेगा।
7. मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा यदि एन0पी0वी0 की दरों में वृद्धि की जाती है तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को किया जायेगा।
8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली की पत्र संख्या 5–9/2006–आई.ए.–III दिनांक 5–10–2006 में अधिरोपित शर्तो/निबन्धों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

24. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्रश्नगत मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान राज्य सरकार/भारत सरकार के वर्तमान में प्रचलित समस्त अधिनियमों, नियमों एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. उक्त आदेश उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं0–104/26/प्र0स0–आ0व0ग्रा0वि0 दि0 1–1–2001, कार्यालय ज्ञाप सं0 110/26/प्र0स0–आ0व0ग्रा0वि0 दि0–4–1–2001 एवं शासनादेश संख्या म.–666/14–2–600(51)/1999 दिनॉक 19–7–99 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

संख्याः–जी0आई0:– 2588/7–1–2011–600(1694)/2006 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन महानिरीक्षक (एफ.सी.), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
2. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, सैक्टर–एच, पंचम तल, अलीगंज, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून।
7. निदेशक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, देहरादून।
8. ज़िलाधिकारी, जनपद–देहरादून।
9. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
10. महाप्रबन्धक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सेक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली।
11. परियोजना निदेशक, पी0आई0यू0, भवन सं0–5, लेन नं0–4, सेक्टर–4, तेग बहादुर रोड, देहरादून।

आज्ञा से

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।